न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम) अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजिस्टर्ड नंबर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12/71/2025	2025/323	04.12.2025	08.01.2026

01. प्रवर्तन अधिकारी, मुख्यालय अलवर जिला अलवर (राजस्थान) ।

—प्रार्थी

बनाम

01. श्री दामोदर लाल पुत्र श्री प्रभाती राम, निवसी चिमरावली सिख लक्ष्मणगढ़, अलवर राज0।

—अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6 "ए" आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर, को राजसात करने बाबत्।

उपस्थिति :—

1. प्रवर्तन अधिकारी —विभागीय प्रतिनिधि।

:: निर्णय ::

प्रवर्तन अधिकारी अलवर द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 सहपठित आदेश द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 के तहत 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर को राजसात किये जाने हेतु प्रार्थना पत्र 6"ए" प्रस्तुत किया गया है। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये कोर्ट नोटिस तलब किया गया।

प्रवर्तन अधिकारी मुख्यालय अलवर ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि दिनांक 09.10.2025 को श्रीमान् जिला रसद अधिकारी के निर्देशानुसार मैं बनवारी लाल, प्रवर्तन अधिकारी बहमराह श्री रणधीर सिंह, प्रवर्तन अधिकारी एवं श्री अमित कुमार यादव, प्रवर्तन निरीक्षक घरेलू गैस के व्यावसायिक दुरूपयोग की जांच हेतु श्री दामोदर लाल पुत्र श्री प्रभाती राम, निवसी चिमरावली सिख लक्ष्मणगढ़, अलवर की जसवंत नगर, अलवर में स्थित अवैध गैस रिफलिंग सेंटर पर पहुंचे।

मौके पर श्री दामोदर लाल पुत्र श्री प्रभाती राम, निवसी चिमरावली सिख लक्ष्मणगढ़, अलवर उपस्थित मिले। श्री दामोदर लाल पुत्र श्री प्रभाती राम के उक्त सेंटर पर 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिसका व्यावसायिक दुरूपयोग किया जाना पाया गया। फर्द अभिग्रहण एवं फर्द सुपुर्दगीनामा पृथक से तैयार किया गया। श्री दामोदर लाल पुत्र श्री प्रभाती राम द्वारा वक्त जांच घरेलू/व्यावसायिक गैस सिलेण्डर के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये।

इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि श्री दामोदर लाल पुत्र श्री प्रभाती राम के द्वारा घरेलू सिलेण्डर व्यावसायिक कार्य के लिए उपयोग किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है। उक्त आदेश का उल्लंघन होने के कारण उपरोक्तानुसार 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर को वजह सबूत कब्जेराज लिया गया।

मौके पर उक्त कब्जेराज 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर को अभिषेक शर्मा पुत्र श्री सुनील कुमार शर्मा निवासी 17ए, तिजारा फाटक, शिव कॉलोनी अलवर हाल कार्यकर्ता अलवर इण्डेन गैस एजेंसी अलवर को सुपुर्द किया गया।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर (राज0)

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि उक्त 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर को राजसात करने की कृपा करें।

अप्रार्थी को जरिये रजि0 नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी/अप्रार्थी अधिवक्ता बावजूद रजि0 तलबी/तामील के अनुपस्थित।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, फर्द जब्ती, फर्द सुपुर्दगीनामा और प्रवर्तन अधिकारी के प्रतिवेदन का गहनता से अवलोकन किया गया। प्रार्थी विभागीय प्रतिनिधि की बहस पर चिंतन–मनन किया गया। प्रार्थी प्रवर्तन अधिकारी अलवर के अनुसार वक्त जांच मौके पर अप्रार्थी दामोदर लाल पुत्र श्री प्रभाती राम के अवैध गैस रिफलिंग सेन्टर, अलवर पर 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर अवैध रूप से संग्रहित मिले। जिनका उपयोग व्यावसायिक कार्य के लिए किया जा रहा था। अप्रार्थी द्वारा वक्त जांच घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों के रखे जाने बाबत कोई विधिक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये। इससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी के द्वारा उक्त घरेलू व व्यावसायिक गैस सिलेण्डरों व अन्य उपकरणों का व्यावसायिक उपयोग एवं अवैध रिफरिंग का कार्य किया जा रहा था, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के अन्तर्गत जारी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण विनियमन) आदेश 2000 का स्पष्ट उल्लंघन है, जो आवश्यक वस्तुत अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र 6–ए स्वीकार किया जाता है, 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पारित आदेश की प्रमाणित प्रति जिला रसद अधिकारी अलवर को भिजवायी जाकर निर्देशित किया जाता है कि जप्तशुदा उक्त 29 घरेलू एवं 25 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर, 01 तोल कांटा, 01 रिफलिंग मशीन मोटर को सुपुर्दगार से नियमानुसार प्राप्त किया जाकर विधिवत कार्यवाही कर राजसात किया जाकर निस्तारण की कार्यवाही करें। उक्त निर्णय आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अध्याधीन रहेगा। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 08.01.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मुकेश कुमार कायथवाल)
अति0 जिला कलक्टर (प्रथम)
अलवर, (राज0)